



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ज्येष्ठ 16, 1936

No. 300]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/JYAISTHA 16, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

सा.का.नि. 383(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन विनियमावली, 2014 होगा।
 - (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "तमिलनाडु" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"तमिलनाडु

	सरकार के अधीन वरिष्ठ झूटी पद	204
	मुख्य सचिव	1
	अपर मुख्य सचिव/सतर्कता आयुक्त	1
	अपर मुख्य सचिव/आयुक्त राजस्व प्रशासन	1
	विकास आयुक्त	1
	सरकार के अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण और वन)	1

सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह)	1
सरकार के अपर मुख्य सचिव (वित्त)	1
सरकार के प्रधान सचिव	16
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त	12
आयुक्त, अनुशासनिक कार्यवाही, चेन्नै	1
सचिव/विशेष सचिव	15
राज्यपाल के सचिव	1
आयुक्त शस्त्र	1
आयुक्त, नगर पंचायत	1
आयुक्त, दुग्ध उत्पादन	1
पंजीयक, सहकारी समितियां	1
श्रम, आयुक्त	1
ग्रामीण विकास आयुक्त	1
अध्यक्ष, अध्यापक भर्ती बोर्ड	1
सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग	1
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा	1
निःशक्तता राज्य आयुक्त	1
आयुक्त, मातृत्व बाल स्वास्थ्य और कल्याण	1
महानिरीक्षक, पंजीयक	1
आयुक्त, कृषि	1
आयुक्त, सर्वेक्षण और बन्दोबस्त	1
आयुक्त, रोजगार और प्रशिक्षण	1
आयुक्त, पुनर्वास	1
आयुक्त, हथकरघा और वस्त्र	1
आयुक्त, मत्स्य पालन	1
आयुक्त, नगर एवं देहात योजना	1
आयुक्त, भूविज्ञान और खनन	1
परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	1
आयुक्त, पुरातत्व	1
परियोजना निदेशक, आई ए एम डब्ल्यू ए आर एम	1
आयुक्त, छाद्य सुरक्षा	1
आयुक्त, विद्यालय शिक्षा	1
आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा	1
अध्यक्ष, एम एस आर बी	1
मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1
सीईओ, तमिलनाडु अवसरचना विकास बोर्ड	1
अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1
आयुक्त, बागवानी	1

	आयुक्त, संग्रहालय	1
	आयुक्त, एचआर एंड सीई	1
	आयुक्त, भारतीय चिकित्सा	1
	सचिव, राज्य योजना आयोग	1
	आयुक्त, अभिलेखागार	1
	प्रबंध निदेशक, टी डबल्यू ए डी बोर्ड और पदेन विशेष सचिव	1
	सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	20
	निदेशक, आर्दी इन्विडर एवं जनजातीय कल्याण	1
	उप/संयुक्त/अपर सचिव	13
	निदेशक, लघु बचतें और रैफल्स	1
	निदेशक, लेखन-सामग्री और मुद्रण	1
	निदेशक, विछद्रा वर्ग	1
	कलेक्टर	32
	निदेशक, भू सुधार	1
	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग	1
	निदेशक, एम बी सी और गैर-अधिसूचित समुदाय	1
	निदेशक, कृषि विपणन	1
	निदेशक, राजकोष एवं लेखा	1
	निदेशक, सांख्यिकी	1
	अपर पंजीयक, सहकारी समितियां	1
	निदेशक, सूचना और जन सम्पर्क	1
	निदेशक, रेशम उत्पादन	1
	निदेशक, सामाजिक कल्याण	1
	उप-कलेक्टर/अपर कलेक्टर/अपर कलेक्टर (विकास)	20
	सचिव, टी एन पी एस सी	1
	आयुक्त, अनुशासनिक कार्यवाही (मदुरै/कोयम्बदूर)	2
	परीक्षा नियंत्रक, टी एन पी एस सी	1
	निदेशक, शहरी भू हदबंदी	1
	मुख्य मंत्री के उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	3
	निदेशक, डाटा सेन्टर	1
	निदेशक, पशु पालन	1
	संयुक्त सीईओ (एस बी ई ई पी)	1
	पी.डी.तमिलनाडु स्वास्थ्य समिति	1
	निगमायुक्त (मदुरै/कोयम्बदूर)	2
	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण	1
	निदेशक, ई-शासन-सह पदेन संयुक्त सचिव/अपर सचिव	1
1.	कुल बरिष्ठ ज्युटी पद	204
2.	सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	81

3.	एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	51
4.	टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	7
5.	एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	33
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	114
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	262
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	376

[सं.11031/8/2013-अ.भा.से.-II(क)]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, तमिलनाडु संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 355 थी।
टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की का.नि.आ. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये तमिलनाडु संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि. सं	तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. सं	तारीख
1	547	08.06.74	16	1055	13.10.84
2	1012	21.09.74	17	709	03.08.86
3	226	22.02.75	18	52	24.01.87
4	235(अ)	17.03.76	19	760(अ)	30.06.88
5	602	01.05.76	20	867	25.11.89
6	990	10.07.76	21	105	07.03.92
7	1156	07.08.76	22	225	16.05.92
8	544	29.04.78	23	406	12.09.92
9	585	06.05.78	24	319(अ)	31.03.95
10	287(अ)	05.06.80	25	67(अ)	25.01.96
11	115	08.11.80	26	739	31.12.97
12	674(अ)	01.12.80	27	192(अ)	20.04.98
13	488	23.05.81	28	48	27.01.99
14	421	08.05.82	29	519(अ)	14.07.2008
15	476	19.05.84	30	188(अ)	24.03.2009